

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

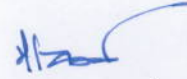
क्रमांक:- एफ.3 (डी 216/92) अलेसे-11/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

श्री: दयाराम जाट सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिनक नं. 4052) कार्यालय- उपकोष नीमकाथाना, जिला सीकर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 326/2010 में अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.2(157) कार्मिक(क-3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में श्री दयाराम जाट सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय- उपकोष नीमकाथाना, जिला सीकर को सीसीए नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री दयाराम जाट सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री दयाराम जाट का निलम्बन काल में मुख्यालय उपकोष, चौमूं जिला जयपुर में रहेगा, वे मुख्यालय पर प्रतिदिन उपस्थिति अंकित करेंगे।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (डी 216/92) अलेसे-11/ 120-131

दिनांक:- 22-4-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अशा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3 श्री पृथ्वीराज मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, सीकर।
- 4 कोषाधिकारी, सीकर
- 5 उपकोषाधिकारी, नीमकाथाना, सीकर।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 7 श्री दयाराम जाट सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय-उपकोष नीमकाथाना जिला सीकर को पालनार्थ।
- 8 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 9 जाँच/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।



(डॉ० मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)